Cochin-Madura National Highway

1747. SHRI THENNALA BALAKRISHNA PILLAI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government fixed the length of Cochin-Puthencuze route in the Cochin-Madura National Highway;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Survey and Investigation is in progress and the alignment can be fixed only after Survey and Investigation is completed.

Missing Women

1748. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of missing women, as per latest records available in the country; and

(b) whether it is a fact that a large number of them find their way to brothels or otherwise pushed into flesh trade?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) No specific information regarding the number of missing women is available. However, according to available information, there were 12,998 cases of kidnapping and abduction of women and girls in the country during the year 1994 for various purposes as per details given below:—

Prostitution:	299
Other purposes:	12699
Total:	12998

The registration, detection, investigation and prevention of crime is primarily the responsibility of the State Governments.

भारतीय दूतावासों में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

1749. **श्री अजीत जोगी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): जी हां। मिशन प्रमुखों को कभी-कभी शिकायतें मिलती हैं जो अधिकतर पासपोर्ट वीजा, तथा अन्य सेवाओं के लिए आवेदनकर्ताओं से प्राप्त होती हैं। आमतौर पर इन शिकायतों में यह कहा जाता है कि उन्हें अच्छी तरह सुना नहीं गया है, कार्रवाई करने में देर हुई है, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है अथवा इसी स्वरूप की कोई अन्य शिकायतें। इन शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाता है और विशेष रूप से कौंसली अनुभागों को कहा जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि तत्काल और शिष्टाचारपूर्ण सेवा मुहैया करायी जाती है जहां कहीं आवश्यक हुआ है, चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ समुचित कड़ी कार्रवाई भी की गयी है।

(ख) और (ग) विवरण के अनुसार।

विवरण

क्र सं०	देश	वर्ष			शिकायत का स्वरूप	की गई कार्रवाई
		93	94	95		
1.	लेनेगल			1	सुरक्षा गार्ड द्वारा अभद्र व्यवहार	वापस भारत भेज दिया गया।
2.	डेनमार्क			1	टेलीफोन पर की गयी पूछताछ का जवाब न देना तथा पासपोर्ट न भेजना	हालांकि शिकायत की पुष्टी नहीं हो सकी फिर भी खेद व्यक्त किया गया।
3.	फ्रांस		1	1	पैसा मांगने के संबंध में कोंसली एजेंट के खिलाफ	शिकायतकर्त्ता का पता नहीं लग सका।
			1		गुमनाम शिकायत कोंसली एजेंट के खिलाफ गुमनाम शिकायत	
			1		कोंसली एजेंट के खिलाफ गुमनाम शिकायत	शिकायतकर्त्ता का पता नहीं लग सका।
			1		कोंसली कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार	कोंसली कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी
				1	कोंसली एजेंट द्वारा पैसे की मांग करना	शिकायतकर्त्ता का पता नहीं लग सका। मामले को फाइल में रिकार्ड कर दिया गया।
4.	जर्मनी			1	गुमनाम शिकायत	शिकायत की पुष्टी नहीं हो सकी।
5.	युनाइटेड किंगडम				पासपोर्ट, वीजा, आवेदनों पर कार्रवाई में विलम्ब से संबन्द्ध शिकायतें।	अविलम्ब कड़े नियमों एवं विनियमों के कारण होते हैं जिनका मिशन के कर्मचारियों को पालन करना होता है।
6.	साइप्रस				अताशें (कोंसली) द्वारा अशिष्ट तथा अभद्र व्यवहार	संबंधित अधिकारी को चेतावनी दी गयी तथा यह सलाह दी गयी कि वह शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें।
7.	बेल्जियम			1	बैंक को देनदारियों का भुगतान न करना।	संबंधित अधिकारी को वापस दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
8.	यू०ए०ई०		3	4	कोंसली सेवाओं में विलम्ब/ढिलाई बरतना।	कार्यविधियों को सुव्यवस्थित बना दिया गया ताकि विलम्ब न हो।
9.	कतर			1	भारतीय राष्ट्रिक के साथ अभद्र व्यवहार।	राजदूत के हस्तक्षेप से मामला सुलझा दिया गया।
10.	इन्डोनेशिया	1	1	1	कोंसली सेवाओं तथा पासपोर्ट गुम हो जाने के बारे में शिकायत।	कर्मचारियों को चेतावनी देकर कहा गया कि वे अपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरतें।